21-12-17

राज्य द्वारा एडीपीओ

अभियुक्त सोनू अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट अदम तामील/तामीलशुदा बापस प्राप्त नहीं। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता

तमीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप० नही हुआ है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने को संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः व0प्र0सं0 की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायें।

अभियुक्त सोनू किरार पुत्र रामरतन किरार निवासी रिठौराकला जिला मुरैना म०प्र० को स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। वारंट पर सीआईएस नम्बर व जमानतदार का विवरण साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रिजस्टर में कर पावती ली जाये। थाना प्रभारी को ज्ञापन जारी हो कि अभियुक्त के स्थाई वारंट को राजनामचा सान्हा में दर्ज कर उसकी सुसंगत प्रविष्टी की प्रतिलिपि न्यायालय में अविलम्ब भिजवाएं।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त

फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जारो

(P.T.O.)